अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/58

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
श्री महेन्द्र सिंह चौधरी श्री	

16/10/24

अवजी बनाम रामा वगैरह (2024/58)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को नियत दिनांक 18.11.2023 से पूर्व ही दिनांक 25.07.2023 में नियत कर वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी अभी हाल ही मे जब वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल किया गया तो प्रार्थीगण दिनांक 18.01.2024 को अपने अभिभाषक से मिले तो उन्होंने जानकारी दी कि उनके विरूद्ध फैसला हो गया है जब उक्त आदेश की नकलें प्राप्त की एवं फीस आदि का प्रबन्ध कर तथा अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त अपील आज दिनांक को अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष जानकारी से प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील में हुई देरी को क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जानी न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर मेरिट पर किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि एक अन्तरिम आदेश है अन्तिम आदेश नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। जो 28.08.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश कर पेशी दिनांक 30.09.2015 नियत की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लगातार तारीख पेशी दी जाती रही है। दिनांक 25.07.2023 को स्थगन आदेश पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त आदेश की पालना को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 की पालना, प्रभाव को स्थगित किया जाता है तो वादग्रस्त आराजीयात के खुर्द-बुर्द होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

58/2024/225RTA उपजी (प्र. न्याय/राधा)

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2024/58

पेशी श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड. श्री

लगातार के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner